10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE ५ रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

74

Rs 15/-

R 1972-III/2006

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक- /06

शंकर तनय धनकुधारी साहू, निवासी-ग्राम विलौजी,
तहसील-सिंगरौली, ज़िला-सीधी (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. मु. सुबसिया बेबा पत्नि हीरालाल साहू
2. रामसजीवन साहू पुत्र स्व. हीरालाल साहू
3. रामदास साहू पुत्र स्व. हीरालाल साहू
4. रामराज साहू पुत्र स्व. हीरालाल साहू

सभी निवासी ग्राम बिलौजी तैलियान तहसील-सिंगरौली, जिला-सीधी (म.प्र.)

5. श्रीमती धनकुमारी बेबा पत्नी सभयलाल उम्र 70 वर्ष
6. सरजूलाल तन्य स्व. श्री समयलाल उम्र 45 वर्ष
7. रजलाल तनय स्व. श्री समयलाल साहू उम्र 40 वर्ष
8. सूरजलाल तनय स्व. श्री समयलाल साहू उम्र 30 वर्ष,

सभी निवासी-ताली, तहसील सिगरौली, जिला-सीधी (म.प्र.)

9. मृत बल्देव तनय जगन्नाथ साहू
10. मुस. मठुरी पत्नी बल्देव
11. रामाधार तनय बल्देव
12. रूपन्ती पुत्री बल्देव पत्नी शिवशंकर ब्रा. बनौली
13. दशोदरा पत्नी रामलल्लू पुत्री बल्देव साकिन बनौली,

श्री के०प्र० द्विवेदी, [illegible]
आज दि० 27-10-06 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

माननीय न्याया. के आदेश दिनांक 20.4.11 के अनुसार संशोधन,
1- रामाधार साहू आ० स्व. श्री बल्देव
2- रूपवंती पुत्री " "
3- यशोदा पुत्री " "
4- मुद्री बेवा " "
नि. बिलौजी तिलयान तह. व जिला सिंगरौली म.प्र.,

27.10.06
K. Dwivedi

Ki- प्रेमलाल साहू आ० श्री रामसुमन साहू
नि. बिलौजी तह. व जिला सिंगरौली
1. कमला प्रसाद पुत्र स्व. रामलखन
2. सरनाम सिंह " "
3. हजारी लाल साहू " "
4. पुष्पा पुत्री " "
नि. बिलौजी तिलयान तह. व जिला. सिंगरौली म.प्र.
21-4-11

क्रमशः 2

14. मुन्नी पुत्री बल्देव पत्नी विजय साह सा. जरहा,
15. लल्लू प्रसाद शाहवाल मा सुकवरिया पुत्र रामकुमार शाहताल साकिन ताली,
16. लक्ष्मी प्रसाद शाहवाल सुकवरिया पुत्री रामकुमार सा. रजमिलान
17. गोपाल मा बिरजू पुत्र मंगल साहू निवासी ग्राम ताली
18. छोटे मा बिरजू पुत्र मंगल साहू निवासी ग्राम ताली
19. रामजी मा मुनिया पुत्र मनराखन साहू साकिन गलिहरा
20. सभापति साहू मा मुनिया पुत्र मनराखन साहू, साकिन जैतपुर
21. हजारी दत्तक पुत्र वृन्दावन साहू
22. मु. मन्तुआ बेबा धनसेर साहू
23. धर्मजीत पिता.धनसेर साहू
24. जैतलाल पिता धनसेर साहू
25. बुद्धलाल पिता धनसेर साहू
26. श्रीमती बवनी शाह पत्नी स्व. श्री रामसुमारु उम्र 63 वर्ष मृत
27. प्रेमलाल साहू तनय श्री स्व. रामसुमारु उम्र 34 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम बिलौजी तह.-सिगरौली,
जिला-सीधी (म.प्र.)

28. शोभनाथ पुत्र बलभद्र साहू
29. सुखदेव पुत्र बलबद्र साहू

क्रमशः 3

✓30. बसन्ती पुत्री बलभद्र साहू पत्नी प्रयागलाल साहू
साकिन गहिलवार सा. गहिलगढ़ पश्चिम
मृत 31. रामलखन तनय छोटकू साहू
मृत 32. मु. मुटुरी बेबा पति जनकलाल साहू
✓33. सीतासरण पिता जनक साहू
✓34. जियालाल पिता जनक साहू
✓35. मेवालाल पिता जनक साहू
✓36. भानदास पिता जनक साहू
सभी निवासी ग्राम बिलौजी तहसील सिगरौली,
जिला–सीधी (म.प्र.)

--अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक–386/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 22–8–06 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

1– यह कि, आवेदक द्वारा विवादित भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गयी थी, और उसके आधार पर तहसील न्यायालय में नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 25.2.94 द्वारा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित

क्रमशः 4

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1972–तीन/2006 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 386/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 22–8–06 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में दिनांक 31–7–91 को वादोक्त आराजियों के नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसपर तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 25–2–94 को नामांतरण आदेश पारित किया। अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 160/अपील/98–99 में पारित आदेश दिनांक 6–5–03 से अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 22–8–06 के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये तथा अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि पूर्वोक्त भूमि को विकय पत्र के माध्यम से	

कय करने के उपरांत उसके द्वारा नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर आदेश दिनांक 25–2–94 को आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 6–5–03 के द्वारा स्थिर रख गया। यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गयी थी, और इसकी विधिवत जानकारी अनावेदकगण को थी इसके बाबजूद भी उन्होंने विकय पत्र निरस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की। विकय पत्र की वैधता की जांच के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं हैं। इस बिन्दु पर द्वितीय अपर आयुक्त द्वारा विचार न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। दोनों निम्न न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक अधिकार द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास नहीं था। अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष कि वर्ष 1970 भूमि कय की थी तत्पश्चात 1991 में नामांतरण कराया गया शंकास्पद मानकर दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। रामलखन की मृत्यु हो गयी थी, उनके वारिसों को बिना रिकार्ड पर लिये मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक ने फर्जी कच्ची बेची टीप के आधार पर नामांतरण आदेश पारित

कराया। हीरालाल की मृत्यु 15–5–70 के पूर्व हो चुकी है। इतने दिनांक तक नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं गया और 1991 में लगभग 20 वर्ष पश्चात नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 5–4–91 को टीप को एम्पाउण्ड कराया गया, जिसकी सूचना अनावेदकों को नहीं दी गई। यह भी तर्क दिया कि 100/– रूपये से अधिक मूल्य की संपत्ति का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। दोनों निम्न न्यायालयों द्वारा पारित अवैधाभिक आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। आवेदक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है क्योंकि रामलखन की मृत्यु की जानकारी अनावेदकों को नहीं थी। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा रामलखन को इस न्यायालय में पक्षकार बनाकर नियम 27 सी0पी0सी0 का उल्लंघन किया है जिससे पक्षकार का कुसंयोजन हो गया है। अतः इसी स्तर पर ही निगरानी निरस्ती योग्य है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलखों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा इस न्यायालय मृतक रामलखन के विरूद्ध अपर आयुक्त न्यायालय से आदेश पारित होने का प्रश्न है उचित नहीं है। चूंकि अपर आयुक्त न्यायालय में रामलखन की मृत होने की जानकारी थी इसकी पुष्टि इस बात होती है कि आवेदक द्वारा भी इस न्यायालय में उसे पक्षकार के रूप संयोजित किया है। इसलिए आवेदक का मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि एक

तो आवेदक द्वारा ही निम्न न्यायालयों में मृतक हीरालाल की पत्नी सुबसिया को पक्षकार न बनाकर विधिक त्रुटि की है तथा इस न्यायालय में भी मृतक रामलखन को पक्षकार बनाकर पक्षकारों का कुसंयोजन किया है। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अनावेदिका सुबसिया पत्नी हीरालाल को पक्षकार नहीं बनाया और न ही उसे किसी प्रकार की सूचना दी गई है। आवेदक द्वारा कच्ची टीप को एम्पाउण्ड कराया है परन्तु उसमें भी अनावेदकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। मृतक हीरालाल की पत्नी होकर प्रथम श्रेणी वारिसा थी इसलिए उसे प्रकरण में पक्षकार बनाये जाना चाहिए था। आवेदक द्वारा मृतक हीरालाल को विचारण न्यायालय में पक्षकार बनाकर की गई संपूर्ण कार्यवाही विधिविरूद्ध व दूषित थी। वर्ष 1970 से 1991 तक विलेख के आंधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना भी संदेहस्पाद था। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दु पर बिना विचार किये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित मानने में त्रुटि की थी। इसी कारण अपर आयुक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 22–8–06 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य